


निग 08032/2018/सतना/५५०

न्यायालय, मान-राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट  
रीवा (म0प्र0)

अधिकांश शपथविधारी  
शिपाही द्वारा फेरा/५-१०-१८

निगरानी प्रकरण क्र०-.....



- 1- पारसनाथ सिंह तनय द्वारिका सिंह कुर्मवंशी,
- 2- कुसुमकली पुत्री झुरई सिंह कुर्मवंशी
- 3- फूलमती पुत्री झुरई सिंह कुर्मवंशी
- 4- ठाकुरदीन सिंह तनय ललवा सिंह कुर्मवंशी
- 5- श्रीमती विमला सिंह पत्नी पारसनाथ सिंह कुर्मवंशी

सभी निवासी ग्राम पड़िया, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

- 1- रामलखन सिंह पिता स्व0 रामसिया सिंह कुर्मवंशी
- 2- प्रद्युमन सिंह पिता स्व0 रामसिया सिंह कुर्मवंशी
- 3- मुस0 बेह्रा पत्नी सुखेन्द्र सिंह कुर्मवंशी
- 4- राम अनुग्रह सिंह तनय स्व0 सुखेन्द्र सिंह (पिता स्व0 रामबहोर सिंह)

औपचारिक पक्षकार

- 5- राम अनुरुद्ध सिंह पिता स्व0 कंधई सिंह कुर्मवंशी
- 6- रामनारायण सिंह पिता स्व0 कंधई सिंह कुर्मवंशी
- 7- रामचरण सिंह पिता स्व0 कंधई सिंह कुर्मवंशी
- 8- रामचरित्र सिंह पिता स्व0 कंधई सिंह कुर्मवंशी
- 9- गोरेलाल सिंह पिता स्व0 रामखेलावन सिंह कुर्मवंशी
- 10- रामयश सिंह पिता स्व0 रामखेलावन सिंह कुर्मवंशी
- 11- देवेन्द्र सिंह पिता स्व0 रामखेलावन सिंह कुर्मवंशी
- 12- छोटकी पुत्री स्व0 रामसुन्दर सिंह कुर्मवंशी - (फौत)
- 13- रबड़िया, पुत्री स्व0 रामसुन्दर सिंह कुर्मवंशी

पारसनाथ सिंह !  
१८.

14- छोटेलाल सिंह तनय स्व० ललवा सिंह कुर्मवंशी

सभी निवासी ग्राम पड़िया, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०

—गैरनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त  
रीवा, संभाग रीवा लिंक कोर्ट  
सतना/सीधी म०प्र० प्रकरण  
क०-519/अपील/2016-17 आदेश  
प्रसारित दिनांक 18.09.2018

जिसके द्वारा अपीलार्थी/आवेदकगण की  
अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी तहसील  
अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण  
क०-142/अपील/2009-2010 पारित  
आदेश दिनांक 26.12.2016 को कायम  
रखते हुये अपील निरस्त किया गया।

जो कि प्रथम अपील न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब  
तहसीलदार अमरपाटन, वृत्त मौहारी  
/कटरा के प्रकरण क०-82/A-  
27/2006-07 आदेश दिनांक 23.04.  
2010 को निरस्त किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू०राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर्

मामले का विषय संक्षिप्त में :-

तहसील न्यायालय में आवेदकगण (उक्त अनावेदक क०-01  
व 02 तथा रामबहोर सिंह) द्वारा ग्राम पड़िया, तहसील अमरपाटन,  
(वृत्त मौहारी/कटरा) में स्थित भूमियाँ खसरा क०-337, 338, 339,  
340, 347, 348, 411, 416, 417, 418, 419, 420, 423 कित्ता 13  
जुमला रकवा 12.85 एकड़ के बटवारे (विभाजन) का आवेदन  
प्रार्थीगण से गोपनीय रखकर दिनांक 21.06.2007 को प्रस्तुत किया  
गया।

पारसनाथीय

(196)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक बिगो 6032/2018/सहा/१३० जिला-सतना

परसनाथ सिंह विरुद्ध रामलखन सिंह वर्मा

(1)

(2)

(3)

16-119-

1. आवेदक की ओर से श्री. श्याम बिहारी ठापा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 519/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18.09.18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.10.18 प्रस्तुत की गयी है।

2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।

3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य